कार्यालय सहायक संचालक
नगर तथा ग्रामम निवेश जिला कार्यालय विदिशा – रायसेन (म.प्र.)

क्रमांक / ......1913...... विअ/ न.ग्रा.नि./2010 विदिशा, दिनांक 16/12/10

प्रति,

मैसर्स जय गुरूदेव कंस्ट्रक्शन द्वारा
श्रीमति पूनम भार्गव, श्रीमती प्रतिभा चावला,
श्रीमती सविता कुमार एवं श्रीमति वनिता जैन
निवासीगण विदिशा (म.प्र.)

विषय :- कस्बा विदिशा के वार्ड क्र. 15 मुख्य मार्ग निकासा पर 703.23 वर्ग मीटर की भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा बावत्।

संदर्भ :- आपका आवेदन कमांक 18.11.2010

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं सदर्भ में ग्राम कस्बा विदिशा के गुरूनानक वार्ड कमांक 15 निकास मुख्य मार्ग स्थित भूमि रकबा 703.23 वर्गमीटर भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु इस कार्यालय से विकास अनुज्ञा चाहा है विदिशा विकास योजना में ~~प्रशासनाधीन~~ प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान वाणिज्यिक (वाणिज्यिक) भू अभियोग में निर्दिष्ट है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के प्रावधान अनुसार निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम / नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति / अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।
   1. मध्यप्रदेश भू – राजस्व संहिता 1989
   2. भू– अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, रायसेन
   3. भूजल अधिकारी रायसेन
   4. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
   5. जल संसाधन विभाग (बांध नहर नदियों से लगी भूमि के विास हेतु)
   6. उपरोक्त के अंतर्गत अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास / निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नही होगा।
3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख मार्ग मध्य से मीटर 4.50 मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के पश्चात संलग्न मानचित्र के अनुसार (एम.ओ.एस.) छोड़ना होगा।
4. प्रश्नाधीन भूमि में निर्मित क्षेत्र मानचित्र में दर्शाये अनुसार 60 प्रतिशत मान्य होगा एवं एम. ओ.एस. निम्नानुसार होगा। सामने 4.50 मीटर, पीछे 4.50 मीटर
5. प्रश्नाधीन भूमि का वाणिजय उपयोग हेतु ही उपयेाग किया जावेगा।

6. एफ0ए0आर0 1.00 तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर।

7. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।

8. विद्युत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

9. किसी भी प्रकार की भूमि वाद–विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

10. इस अनुज्ञा को भू–स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जायें।

11. यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा यह अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नही होगा।

12. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट परिसर के आस–पास भूमि पर फेंकन/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।

13. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्ड पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें एवं भवन अनुज्ञा/अनुमति संबंधित नगरपालिका विदिशा से प्राप्त की जाना होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्तो का उल्लघंन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत निवोक कर दी जावेगी।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कायालय विदिशा

पृष्ठ क्र./19/4to1915/ विअ/नग्रानि/2010

विदिशा दिनांक 16/12/10

प्रतिलिपि :–

1. उपखण्ड अधिकारी विदिशा की ओर कृपया सूचनार्थ ।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विदिशा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कायालय विदिशा